## राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 19)

[3 अप्रैल, 2007]

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संक्षिप्तनामऔर प्रारंभ। (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।
  - (2) यह 29 जनवरी, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1998 का 13

- राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की (जिसे इसमें इसके धारा 3 का संशोधन। पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - '(छ) ''संस्थान'' से धारा ४ की उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अभिप्रेत है;'।
  - 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा ४ का संशोधन।

- (i) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— ''(2क) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के विभिन्न भागों में ऐसे ही संस्थान स्थापित कर सकेगी।'';
- (ii) उपधारा (3) में,—
  - (अ) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - ''(घ) उस राज्य की, जिसमें संस्थान स्थित है, सरकार का तकनीकी शिक्षा सचिव, पदेन:'':
  - (आ) खंड (ञ)के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— ''(ञक) भारतीय औषध परिषद् का एक प्रतिनिधिः''।
- 4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 4क का अंत:स्थापन।
- ''4क. कोई संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संस्थान के केन्द्र। अपनी अधिकारिता के भीतर विभिन्न स्थानों पर एक या अधिक केन्द्र स्थापित कर सकेगी।''।

2007 का अध्यादेश संख्यांक 2 5. (1) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) आध्यादेश, 2007 इसके द्वारा निरसन और व्यावृत्ति। निरसित किया जाता है।

2007 का अध्यादेश संख्यांक 2 (2) राष्ट्रीय औषध–शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

के॰ एन॰ चतुर्वेदी,

सचिव, भारत सरकार।